न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– दावा संख्या 61/2009

निर्णय दिनांक :– 7-8-2019

श्रीमती पेमादेवी धर्मपत्नी श्री नानूराम जाति जाट निवासीनी लाछड़सर तहसील रतनगढ जिला चूरू

... वादी

बनाम

1. चन्द्राराम
2. नेमाराम
3. लिछमणराम
4. आशाराम
5. चम्पाराम
6. चान्दादेवी

पुत्र/पुत्री स्व. चूनाराम जाति जाट निवासी बण्डवा तहसील रतनगढ जिला चूरू

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री रामचन्द्र ज्याणी अभिभाषक वादी
2. श्री मनोजकुमार ठठेरा अभिभाषक प्रतिवादीगण
3. पैरोकार राज

दावा विभाजन खाता एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति
अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 17 नियम 3 ख सी.पी.सी.

1. प्रतिवादी सं. 2 नेमाराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 17 नियम 3 ख सिविल प्रकिया संहिता दिनांक 14.5.2014 का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ती हेतु प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें दिनांक 20.4.2012 को साक्ष्य वादी में कोई गवाह उपस्थित नही था।

2. वादीनी पेमादेवी, व गवाहान लेखराम, हनुमानाराम, पृथ्वीसिंह के शपथ पत्र दिनांक 8.6.2012 साक्ष्य वादी में प्रस्तुत किये गये तथा दिनांक 12.6.2012 गवाहन के जिरह हेतु रखी गई थी। इसके बाद 22.6.12,6.7.12, 23.7.12, 9.8.12, 3.9.12, 5.10.12, 19.10.12, 9.11.12, 22.11.12, 10.12.12, 4.1.13, 23.1.13, 3.4.13, 16.4.13, 13.5.13, को अवसर दिये गये तथा दिनांक 13.5.2013 को अंतिम अवसर दिया जाकर तथा 03 तारीख पेशी ओर देने के बाद दिनांक 20.9.13 को साक्ष्य वादीनी बन्द फरमाई गई।

3. इस प्रकार साक्ष्य वादीनी बन्द हो जाने से आदेश 17 नियम 3 ख सी.पी.सी. के अनुसरण में दावा वादीनी अदम सबूत में खारिज किया जावे।

4. वादी/अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना का जबाब कई अवसर दिये जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये जाने पर दिनांक 25.9.2017 को जबाब बन्द किया गया।

5. बहस उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत दावा वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर दिनांक 8.9.2009 को दर्ज किया गया था। दिनांक 29.3.2012 को तनकीहात कायम की जाकर दिनांक 20.4.2012 साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई थी। साक्ष्य वादी में दिनांक 20.4.2012 से 8.6.12 तक 04 अवसर प्रदान करने पर शपथ पत्र पेमादेवी,पृथ्वीसिंह, हड़मानाराम, लेखराम प्रस्तुत किये गये। वादी को जिरह हेतु साक्षीगण को उपस्थित करने हेतु 15 अवसर दिये जाकर दिनांक 13.5.2013 को अंतिम अवसर दिया गया। अंतिम अवसर प्रदान करने के बाद भी 03 अवसर ओर दिये गये परन्तु साक्ष्य उपस्थित नही होने पर दिनांक 20.9.2013 को साक्ष्य वादीनी बन्द करदी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से अपनी बहस के समर्थन में सिविल कोर्ट कैसेज 2013(1) पेज 205 प्रस्तुत की गई है।

6. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीनी को साक्ष्य हेतु करीब 20 बार अवसर दिये गये थे, इसके पश्चात भी वो साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही है। साक्ष्य

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

के अभाव में गुणवगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना सभंव प्रतीत नही होता है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर लागु होता है, जिसमें 03 अवसर से अधिक साक्ष्य हेतु दिये जाने के बाद दावा आदेश 17 नियम 3 सी.पी. सी. के अन्तर्गत खारिज किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। इस प्रकार आदेश 17 नियम 3 सिविल प्रकिया सहिंता का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.5.2014 स्वीकार योग्य है।

7. प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.5.2014 अन्तर्गत आदेश 17 नियम 3 सिविल प्रकिया सहिंता स्वीकार किया जाता है। दावा वादीनी साक्ष्य के अभाव में इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner